न्यायालय तहसीलदार तहसील संयोगितागंज जिला इन्दौर (म0प्र0)

राजस्व प्रकरण कमांक 0064/अ–6(1)/2017–18

1– शालिन खण्डेलवाल पिता दिनेश खण्डेलवाल
2– निखिल खण्डेलवाल पिता दिनेश खण्डेलवाल
दोनों निवासी– 48, साजन नगर, इंदौर — केतागण/आवेदकगण

विरूद्व

ओमप्रकाश अग्रवाल पिता बाबूलाल अग्रवाल
निवासी 42, मनीषबाग कॉलोनी, इंदौर — Land Lock विकेता/अनावेदक

आदेश

(परित दिनांक : 04.09.2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण शालिन खण्डेलवाल पिता दिनेश खण्डेलवाल, निखिल खण्डेलवाल पिता दिनेश खण्डेलवाल दोनों निवासी– 48, साजन नगर, इंदौर द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109–110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर ग्राम– मूसाखेडी स्थित भूमि सर्वे नंबर 357/2 कुल रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि पर राजस्व रिकार्ड मे नांमातरण किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया। आवेदनपत्र के साथ रजिस्टर्ड वसीयतनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

02– प्रकरण दर्ज कर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। म्याद् अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही।

03– प्रकरण में अनावेदक ओमप्रकाश अग्रवाल पिता बाबूलाल अग्रवाल को सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु वह न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। ऐसी स्थिति मे अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

04– प्रकरण मे आवेदक शालिन पिता दिनेश खण्डेलवाल उम्र 27 वर्ष, निवासी 48, साजन नगर इंदौर द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर स्वयं का शपथ पत्र सिविल प्रकिया संहिता की धारा 18–4 के तहत प्रस्तुत कर बताया कि मै अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल को जानता हूँ वे रिश्ते मे मेरे चाचा थे व हमारे साथ मकान नंबर 48, साजन नगर इंदौर मे निवास करते थे। उनके द्वारा दिनांक 27/02/2003 को ग्राम मूसाखेडी तहसील व जिला इंदौर पर स्थित सर्वे कमांक 357/2 रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया था। मेरे चाचा अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल के द्वारा एक नोटराईज्ड वसीयत दिनांक 07/04/2006 को श्रीमान दिगम्बर पुजारी नोटरी महोदय के समक्ष निष्पादित की गई थी, जिसका नोटराईज्ड सीरियल कमांक 8314/2006 है। उपरोक्त वसीयत के चरण कमांक 6 मे ग्राम मूसाखेडी तहसील व जिला इंदौर पर स्थित सर्वे कमांक 357/2 रकबा 0.107 हेक्टेयर की भूमि वसीयत पत्र के माध्यम से मुझ प्रार्थी एवं मेरे भाई निखिल खण्डेलवाल को संयुक्त रूप से प्रदान की थी। दिनांक 03/06/2006 को अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल का स्वर्गवास हो गया है।

05– प्रकरण मे आवेदक निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल द्वारा इसी आशय का स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण के साथ संलग्न है।

..............................2

राजस्व प्रकरण कमांक 0064/अ–6(1)/2017–18

06– प्रकरण में वसीयतनामा के गवाह सुशील पिता लक्ष्मीलाल जैन द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर स्वयं का शपथ पत्र सिविल प्रकिया संहिता की धारा 18–4 के तहत प्रस्तुत कर बताया कि मै अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल को जानता हूँ वे मकान नंबर 48, साजन नगर इंदौर मे निवास करते थे। उनके द्वारा दिनांक 27/02/2003 को ग्राम मूसाखेडी तहसील व जिला इंदौर पर स्थित सर्वे कमांक 357/2 रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया था। अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल के द्वारा एक नोटराईज्ड वसीयत दिनांक 07/04/2006 को श्रीमान दिगम्बर पुजारी नोटरी महोदय के समक्ष निष्पादित की गई थी, जिसका नोटराईज्ड सीरियल कमांक 8314/2006 है। उपरोक्त वसीयत के चरण कमांक 6 मे ग्राम मूसाखेडी तहसील व जिला इंदौर पर स्थित सर्वे कमांक 357/2 रकबा 0.107 हेक्टेयर की भूमि वसीयत पत्र के माध्यम से अपने भतीजे शालिन खण्डेलवाल व निखिल खण्डेलवाल को संयुक्त रूप से प्रदान की थी। उक्त वसीयत मेरे समक्ष निष्पादित की गई थी, जिस पर बतौर गवाह के मैने हस्ताक्षर किये थे।

07– प्रकरण में वसीयतनामा के गवाह सुनील पटेल पिता उमराव पटेल द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर स्वयं का शपथ पत्र सिविल प्रकिया संहिता की धारा 18–4 के तहत प्रस्तुत कर बताया कि मै अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल को जानता हूँ वे मकान नंबर 48, साजन नगर इंदौर मे निवास करते थे। उनके द्वारा दिनांक 27/02/2003 को ग्राम मूसाखेडी तहसील व जिला इंदौर पर स्थित सर्वे कमांक 357/2 रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय किया गया था। अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल के द्वारा एक नोटराईज्ड वसीयत दिनांक 07/04/2006 को श्रीमान दिगम्बर पुजारी नोटरी महोदय के समक्ष निष्पादित की गई थी, जिसका नोटराईज्ड सीरियल कमांक 8314/2006 है। उपरोक्त वसीयत के चरण कमांक 6 मे ग्राम मूसाखेडी तहसील व जिला इंदौर पर स्थित सर्वे कमांक 357/2 रकबा 0.107 हेक्टेयर की भूमि वसीयत पत्र के माध्यम से अपने भतीजे शालिन खण्डेलवाल व निखिल खण्डेलवाल को संयुक्त रूप से प्रदान की थी। उक्त वसीयत मेरे समक्ष निष्पादित की गई थी, जिस पर बतौर गवाह के मैने हस्ताक्षर किये थे।

08– प्रकरण में मौजा पटवारी से जॉच प्रतिवेदन तलब किया गया। मौजा पटवारी ने जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उक्त भूमि ओमप्रकाश पिता बाबुलाल अग्रवाल के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा है। उक्त भूमि असिंचित है। उक्त भूमि आवासीय उपयोग की है। उक्त भूमि रिक्त है। उक्त भूमि मिसल बंदोबस्त मे शासकीय नही है। उक्त भूमि अवैध कॉलोनी का भाग नही है।

.....3

तहसीलदार 2018
तहसील-संयोगितागंज, इन्दौर

राजस्व प्रकरण कमांक 0064/अ–6(1)/2017–18

09– प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात पाया कि "विकय पत्र का नामांतरण नही हुआ था तथा अपंजीकृत वसीयतनामा संदेह से परे सिद्ध करने मे आवेदक सफल रहा है। नामांतरण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।"

10– अतः म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 109–110 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम– मूसाखेडी स्थित भूमि सर्वे नंबर 357/2 कुल रकबा 0.107 हेक्टेयर भूमि पर **मृतक खातेदार/वसीयतकर्ता अजय पिता गिरधारीलाल खण्डेलवाल के स्थान पर आवेदकगण/वसीयतगृहिता–** आवेदकगण शालिन खण्डेलवाल पिता दिनेश खण्डेलवाल, निखिल खण्डेलवाल पिता दिनेश खण्डेलवाल दोनों निवासी– 48, साजन नगर, इंदौर का नाम दर्ज करने का आदेश दिये जाते है।

11– पक्षकार सूचित हो ।

प्रकरण आज दिनांक 04.09.2018 को खुले न्यायालय में पारित एवं उदघोषित।

तहसीलदार
तहसील – संयोगितागंज, जिला इंदौर

तहसीलदार
तहसील संयोगितागंज, इंदौर

20 Rs.

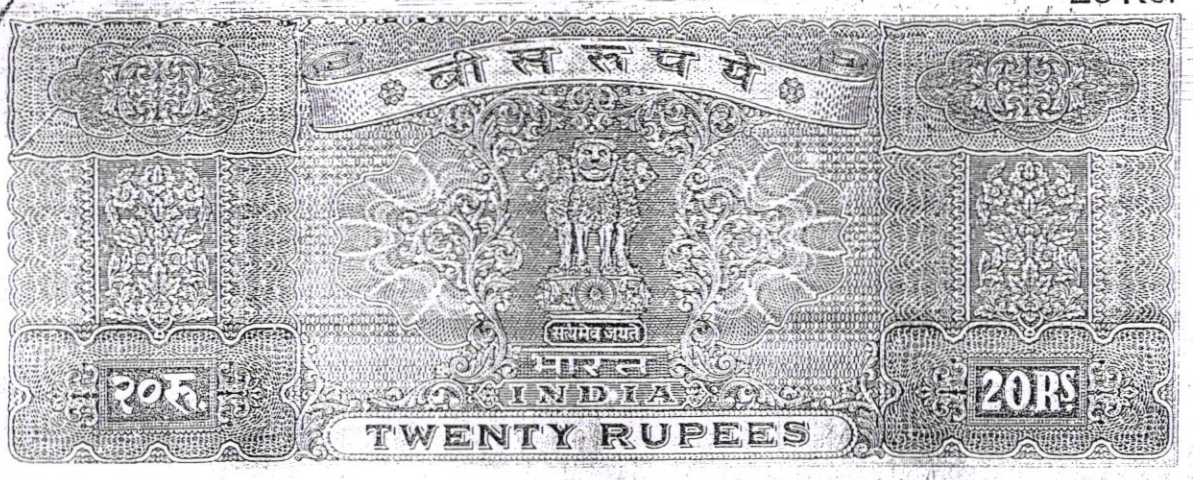

मुद्रांक शुल्क रुपये 20.00

।। श्री ।।

आम मुख्त्यार पत्र

यह आम मुख्त्यार पत्र "प्रतिफल रहित" निष्पादित कर देने वाले श्रीमती विमलादेवी पति श्री गिरधारीलाल जी खण्डेलवाल निवासी 48 साजन नगर इन्दौर म.प्र.। जिन्हे इस लेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता दृष्टि से "निष्पादिका" शब्द से संबोधित किया गया है। अपनी वरण एक में वर्णित संपत्ति के लिये तत्संबधि समस्त कार्यवाही के लिये यह लेख निम्नानुसार निष्पादित कर देते है कि:-

1. यह कि, निष्पादिका एवं श्री मनीष पिता श्री गोपालदास जी बिड़ला के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम मूसाखेड़ी तहसील व जिला इन्दौर के पटवारी हल्का न.26 में स्थित है। यह भूमि मुफ निष्पादिका एवं श्री मनीष बिड़ला के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1म/75 दिनांक 31.5.1994 से क्रय की है। यह भूमि मुफ निष्पादिका एवं श्री मनीष बिड़ला के संयुक्त स्वामित्व की होकर समस्त राजस्व अभिलेखों में मुफ निष्पादिका एवं श्री मनीष बिड़ला के नाम से दर्ज है। इस भूमि का सर्वे क्रमांक रकबा भूराजस्व व चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

सर्वे क्रमांक	रकबा	हेक्टर में	एकड़	लगान
357		0.344	0.85	5.10
1		0.344	0.85	5.10

22919 / 23/3/98

श्रीमती विमला देवी पति गिरधारीलालजी खण्डेलवाल
निवासी : 58, साजन नगर इन्दौर

[illegible]
जिला कोर्ट इन्दौर (म. प्र.)

पूर्व	अन्य भूमि
पश्चिम	रामेश्वर चौधरी की भूमि
उत्तर	राजेश पंडित की भूमि
दक्षिण	अन्य भूमि

2. यह कि उक्त चरण एक में उल्लेखित भूमि में मुझ निष्पादिका के 50 प्रतिशत भूमि के अविभाजीत अधिकार निहित है। उक्त अविभाजीत भाग की समस्त व्यवस्था संचालन एवं विक्रय आदि के लिये मैं निष्पादिका अपनी ओर से श्री दिनेश कुमार पिता श्री गिरधारीलाल जी खण्डेलवाल निवासी 48 सालन नगर इन्दौर म.प्र. को अपना अधिकृत आम मुख्त्यार नियुक्त करती हूं तथा इस सम्पत्ति के लिये समस्त कार्य एवं कार्यवाहीयों को एवं विशेष कर निम्न वर्णित कार्यों के निष्पादन के अधिकार दिये है ।

2ए. यह कि उक्त आम मुख्त्यार इस लेख के चरण एक में भूमि में निहित मुझ निष्पादिका के अधिकारों की भूमि के लिये प्रचलित नियमानुसार एवं विधान अनुसार समस्त एवं आवश्यक कार्यवाहियों का निष्पादन करें, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, उत्तर व अन्य लेख का निष्पादन प्रमाणिकरण के अधिकार सहित करे, तथा उक्त सम्पत्ति के लिये समस्त एवं आवश्यक कार्यवाहियों का निष्पादन करना । उक्त सम्पत्ति के लिये बिजली पावर कनेक्शन प्राप्त करना व उससे संबंधित राशि जमा करना व वापस प्राप्त करना व इससे संबंधित समस्त कार्य एवं कार्यवाहियों का निष्पादन स्वयं के हस्ताक्षर व उपस्थिति में पूर्ण करना ।

रू रुपये 20.00

॥ श्री ॥

आम मुख्त्यार पत्र

यह आम मुख्त्यार पत्र "प्रतिफल रहित" निष्पादित कर देने वाले श्री मनीष पिता श्री गोपालदास जी बिड़ला निवासी 38 अग्रवाल नगर इन्दौर म.प्र. (जिन्हे इस लेख में सुविधा एंव संक्षिप्ता दृष्टि से "निष्पादक" शब्द से संबोधित किया गया है) अपनी चरण एक में वर्णित संपत्ति के लिये तत्संबंधि समस्त कार्यवाही लिये यह लेख निम्नानुसार निष्पादित कर देते है कि:-

1. यह कि, निष्पादक एवं श्रीमती विमला पति श्री गिरधारीलाल जी खण्डेलवाल के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम मुसाखेड़ी तहसील व जिला इन्दौर के पटवारी हल्का नं. 26 में स्थित है। यह भूमि मुझ निष्पादक एवं श्रीमती विमला खण्डेलवाल से द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1अ/75 दिनांक 31.5.19[illegible] से क्रय की है। यह भूमि मुझ निष्पादक एवं श्रीमती विमला खण्डेलवाल के संयुक्त स्वामित्व की होकर समस्त राजस्व अभिलेखों में भी निष्पादक एवं श्रीमती विमला खण्डेलवाल के नाम से दर्ज है। इस भूमि का सर्वे क्रमांक रकबा भूराजस्व व चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

सर्वे क्रमांक	रकबा हेक्टर में	एकड़	लगान
357	0.344	0.85	5.10
1	0.344	0.85	5.10

--- 2 ---

उप पंजीयक
इन्दौर

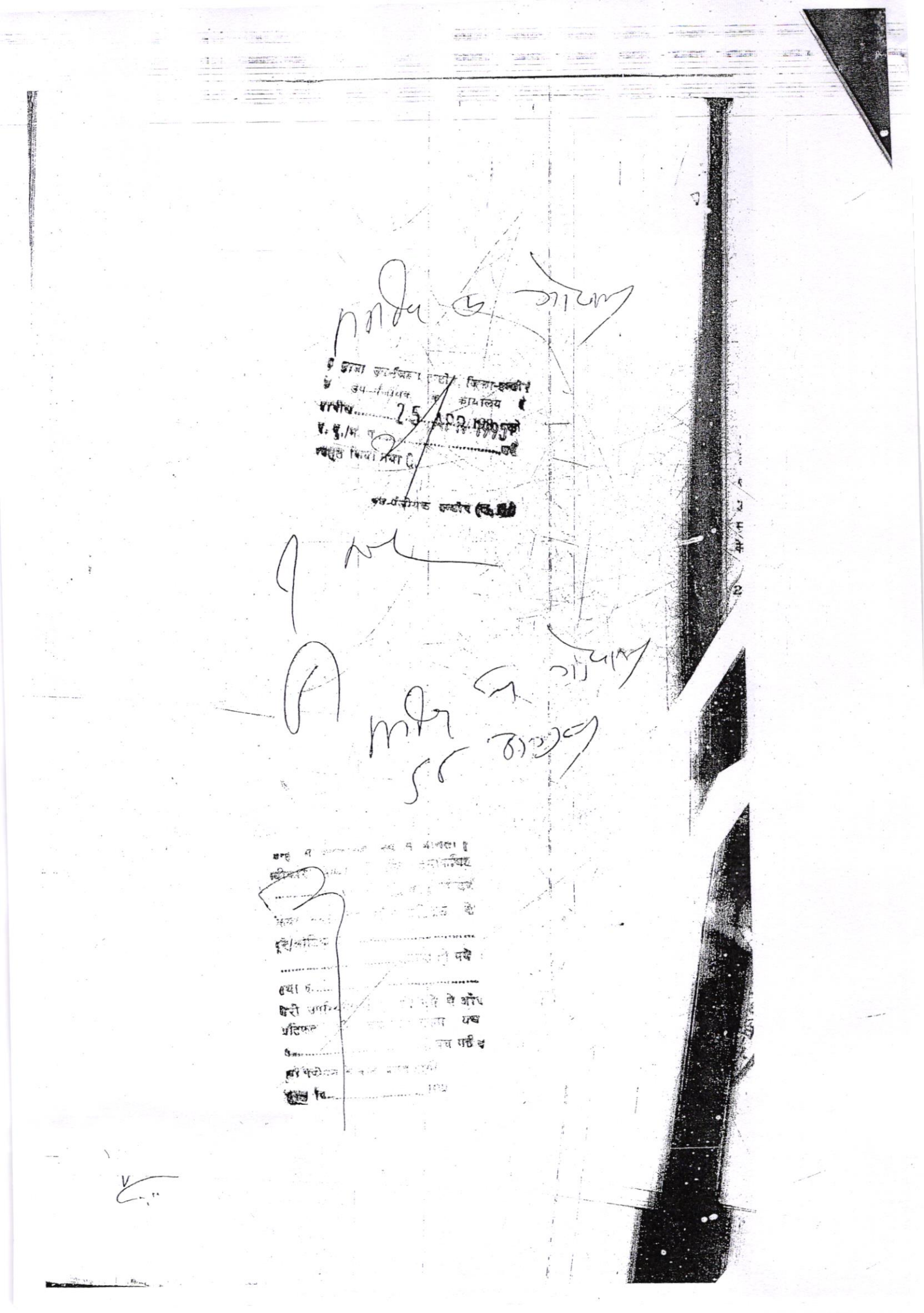

पूर्व	:	अन्य भूमि
पश्चिम	:	रामेश्वर चौधरी की भूमि
उत्तर	:	राजेश पंडित की भूमि
दक्षिण	:	अन्य भूमि

यह कि उक्त चरण एक में उल्लेखित भूमि में मुझ [illegible]दक के 50 प्रतिशत भूमि के अविभाजीत अधिकार निहित है। [illegible] अविभाजीत भाग की समस्त व्यवस्था संचालन एवं विक्रय आदि [illegible] लिये मैं निष्पादक अपनी ओर से श्री संजय पिता श्री गोपालदास बिड़ला निवासी 98 अग्रवाल नगर, इन्दौर म.प्र. को अपना [illegible]कृत आम मुख्त्यार नियुक्त करता हूं तथा इस सम्पत्ति के लिये [illegible]स्त कार्य एवं कार्यवाहीयों को एवं विशेष कर निम्न वर्णित कार्यों [illegible] निष्पादन के अधिकार दिये है।

यह कि उक्त आम मुख्त्यार इस लेख के चरण [illegible] में भूमि में निहित मुझ निष्पादक के अधिकारों की भूमि के लिये [illegible]लित नियमानुसार एवं विधान अनुसार समस्त एवं आवश्यक [illegible]वाहियों का निष्पादन करें, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, उत्तर [illegible]न्य लेख का निष्पादन प्रमाणिकरण के अधिकार सहित करे, तथा [illegible] सम्पत्ति के लिये समस्त एवं आवश्यक कार्यवाहियों का निष्पादन [illegible]ना। उक्त सम्पत्ति के लिये बिजली पावर कनेक्शन प्राप्त करना [illegible]ससे संबंधित राशि जमा करना व वापस प्राप्त करना व इससे [illegible]धित समस्त कार्य एवं कार्यवाहियों का निष्पादन स्वयं के हस्ताक्षर [illegible]उपस्थिति से पूर्ण करना।

--- 3 ---

उप पंजीयक
इन्दौर

प्र. जांच पूर्वानित [illegible]/अभिकर्ता की
[illegible] के विषय में की गई कार
तारीख.............................198

25 APR 1995

[illegible]

[illegible] निष्पादक / पृष्ठक / अभिकर्ता
.... के संबंध
का निशान [illegible]..............................
198 , को [illegible]

[illegible]. [illegible] 10[illegible]

४.
लि
तथ
सं
सं
ना
इस
करे
कठ
का

5.
के
वि
तुर
आ
का
सम
नि
ली
के
मुन

एस
लेव
कार
सम
हम
मुक
मान
ने

:: 3 ::

यहकि, आम मुख्त्यार उक्त वर्णित सम्पत्ति को विक्री, दान, बख्शिस, किरायेदारी आदि रीतियो से अंतरित कर सकेगे तथा ऐसे अन्तरण के लिये अनुरूप लेख का निष्पादन कर सकेगे, राशि प्राप्त कर सकेगे , राशि प्राप्त कर सम्पत्ति अन्तरण से संबंधित दस्तावेज का निष्पादन स्वयं के नाम से या अन्य किसी भी नाम से ऽयदि पंजीयन कराना आवश्यक हो तो उसके भी अधिकार इस लेख में सम्मिलित हैंऽ स्वयं के हस्ताक्षर व उपस्थिति से पूर्ण करे तथा पंजीयन की समस्त कार्यवाही पूर्ण करेंऽ उक्त सम्पत्ति का कब्जा भी अंतरिति को देवें तथा उसके नामान्तरण व अन्य आवश्यक कार्यवाहियो में अपेक्षित सहयोग प्रदान करे ।

यह कि, मुख्त्यार आम इस लेख में वर्णित सम्पत्ति के लिये समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, कार्यालयों, विभागो, अधिकारियों, के समक्ष दीवानी, फौजदारी न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय, नगरनिगम, पुलिस विभाग इन्दौर विकास प्राधिकरण और समस्त स्थान पर उपस्थित होकर समस्त कार्य एवं कार्यवाहीयों का निष्पादन करे, प्रकरण प्रस्तुत करे, पैरवी करें, बयान देवें, समझौता करें, शपथपत्र देवे, तथा इसके लिये वकील, बैरिस्टर आदि की नियुक्ति करें तथा वे समस्त कार्य एवं कार्यवाहीयों का निष्पादन करे जो कि निष्पादक को करना आवश्यक हो इस समस्त अधिकारो के अंतर्गत उक्त आम मुख्त्यार अपनी सुविधा के लिये खास एवं आम मुख्त्यार की नियुक्ति कर सकेंगे ।

यह कि, उक्त सम्पत्ति के संदर्भ में वे समस्त कार्य एवं कार्यवाहीयों को करने के अधिकार भी सम्मिलित है जिनका इस लेख में उल्लेख नही है किन्तु उन्हे करना आवश्यक हों ऐसे समस्त कार्य उक्त आम मुख्त्यार कर सकेंगे । उक्त आम मुख्त्यार इस सम्पत्ति के लिये उन्हे प्रदत्त अधिकारो का उपयोग कर सकेंगे जिसमे हम निष्पादक को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उक्त आम मुख्त्यार द्वारा की गई समस्त कार्य एवं कार्यवाही निष्पादक को मान्य होकर ऐसा माना जावेगा कि उक्त समस्त कार्य हम निष्पादक ने स्वयं उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर से निष्पादित किये है ।

उप-पंजीयक
इन्दौर

उपरोक्तानुसार यह आम मुख्त्यार पत्र मुझ निष्पादक ने पढ़ कर समझ कर स्वेच्छा से शरीर व मन की पूर्ण स्वस्थ हालत में साक्षीगण के समक्ष अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर दिया सो सही। आवश्यकता पर काम आवे.

इति इन्दौर दिनांक 25. 4. 95

हस्ताक्षर निष्पादक

साक्षीगण :-

1\.
नाम देवेन्द्र बिड़ला S/o श्रीगोपाल दासजी बिड़ला
पता 18 अग्रवाल नगर पुरानी चुंगी इन्दौर

2\.
नाम श्रीमती सविता बिड़ला W/o संजय बिड़ला
पता 18 अग्रवाल नगर पुरानी चुंगी इन्दौर

मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया

एडव्होकेट

उप पंजीयक
इन्दौर

शुल्क

25 APR

कर
निवास
अपनी
के लि

गोपाल
ग्राम
स्थित

की

रकबा

छपर पंजीयक

उपपंजीयक

आवेदन प्राप्त होने का दि. 10 NOV 2017
प्रतिलिपि दि.
प्रतिलिपि 10 NOV 2017
प्रतिलिपि
प्रतिलिपि 10 NOV 2017
प्रमाणित
छाया प्रति

उप-पंजीयक 10 NOV 2017
उप-जिला, इन्दौर